न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ...
बामनवास जि. करौली राज.

मुकदमा नम्बर 103/14

दिनांक 13-6-14

1- श्रीमति भागू देवी पत्नि रतन जाति माली निवासी खोरिया
— वादीया

बनाम

1- मनोज पुत्र फूलचन्द जाति माली निवासी खोरिया
2- प्रभु पुत्र रामा जाति माली निवासी खोरिया
3- सूरज पुत्र कान्हा जाति माली निवासी खोरिया
4- मोहन पुत्र कान्हा जाति माली निवासी खोरिया
5- नरसी पुत्र कान्हा जाति माली निवासी खोरिया
6- छोटू खां पुत्र अली खां मुसलमान नि. नायब तहसीलदार
7- भागू देवी पत्नि छोटू मीणा नि. नायब तहसीलदार
8- तहसीलदार जहाजपुर
— प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत
धारा 53,188 RTA.

उपस्थित
1- श्री हीरा लाल शर्मा
एड. वादीया

निर्णय

दिनांक 17-1-18

वादीया की ओर से वाद-पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय द्वारा प्रार्थीनी के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित की गई है कि खेवट खाता नम्बर 374 रकबा ... हल्का खोरिया की आराजी नम्बर ... में वादीया का 1/4 हक व हिस्सा ...
6 बीघा ...

मे मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा प्रस्ताव बनवाने हेतु तहसीलदार को आदेश किया जाता है। तहसीलदार [illegible] मामला हेतु तहसीलदार को लिखा गया।

तहसीलदार जलालपुर की आख्या पत्र क्रमांक/राजस्व/1148 दिनांक 21-7-17 के आधार बटवारा प्रस्ताव बनवाकर हेतु [illegible] कार्यवाही किया गया।

बटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारों को [illegible] की गयी एवं बटवारा प्रस्ताव से पक्षकार सहमत है। जिससे बटवारा प्रस्ताव के अनुसार [illegible] निम्नानुसार जारी की जाती है। — ग्राम [illegible]

क्र०सं०	नाम खातेदार	गाटा नं०	रकबा	लगान
1-	भाइदेवी पत्नी रामरतन [illegible] का है	374/2 / 1	1-10 कड़ी 0-04 बिस्वांसी / 1-10	0-58
2-	सन्तोष पत्नी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मोहम्मद [illegible] का है	374/1 / 1	5-11 कड़ी 5-05 [illegible] 0-06 / 5-11	1-70

उपरोक्तानुसार खाता अलग-2 दर्ज किया जाता है। पक्षकारों के कब्जे [illegible] नहीं किसी प्रकार की कोई व्यवधान [illegible] नहीं [illegible] बाबत पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] हो।

निर्णय आज दिनांक 17-1-18 को सुनाया गया।

डिग्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6 – 7 जाब्ता दीवानी)

अदालत उप खण्ड अधिकारी मुकाम जहाजपुर (भीलवाड़ा)

इजलास श्री .... R.A.S.

.... बनाम ....

.... दावा बाबत् 53, 188 R.T.A.

मुकदमा 103 सन् 2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....

जरी .... मिनजानिब मुदई व ....

.... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

....

....

....

.... मुबलिग .... बाबत् ....

इस मुकदमे के बाबत सूद शरह .... फीसदी सलाना आज की तारीख

तारीख वसूलयाबी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17-1-18 माह

दस्तखत ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (भीलवाड़ा)

...हर

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायला	रूपया	पैसा
...म्प आरजीदावा			स्टाम्प वकीलातनामा		
...म्प वकीलातनामा			स्टाम्प अर्जी		
...म्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
...नताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
...र्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
...स कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
...बत् इजराय हुक्म नामा			बाबत् इजराय हुक्म नामा		
...फरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी	रकबा	लगान
1-	भाड़ देवी पत्नि रतना मीणा का. हक	974/2	1-10 का ट 1-04 सिं. नाथी	0-58
		1	1-10	
2-	सन्तोष पत्नि फूलचन्द मीणा 46/31 भागू देवी पत्नि होडू मीणा 15/91 सतनारायण, किशन लाल नन्दू, शीला पिता प्रभु रामप्यारी बेवा प्रभु, सूरज मोहन नवली पिता काना 15/91 दरोगा होडू खां पिता अली मोहम्मद 15/91 मुसलमान का. हक	974/1	4-11 का ट 4-05 सिंचाई नाथी 0-06	1-10
		1	4-11	

उपरोक्तानुसार खाता अलग-अलग [illegible] कर खेती [illegible] सीमा ज्ञान वादीगण के कब्जे काश्त के मुताबिक दिया जावे [illegible] नहीं करने बाबत पाबन्द किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

1- श्रीमति भाड़ देवी पत्नि रतना मीणा निवासी लिकोड़ा
—वादीया

बनाम

1- सन्तोष पिता फूलचन्द मीणा निवासी लिकोड़ा
2- प्रभु पिता रामा दरोगा नि. साकिन लिकोड़ा
3- सूरज पिता काना दरोगा नि. साकिन लिकोड़ा
4- मोहन पिता काना दरोगा निवासी साकिन लिकोड़ा
5- नवली पिता काना दरोगा निवासी साकिन लिकोड़ा
6- होडू खां पिता अली खां मुसलमान नि. साकिन ——
7- भागू देवी पत्नि होडू मीणा
8- तहसीलदार जहाजपुर

—प्रतिवादीगण